राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–2) विभाग

क्रमांक प 8(4)प्र0सु0/अनु–2/विस/विवि/2019 जयपुर, दिनांक: 22.01.2019

–: परिपत्र :–

संसदीय कार्य विभाग के **परिपत्र क्रमांक प.26(9)संसद/ 2014 दिनांक 11.01.2019** के अनुसरण मे पन्द्रहवी राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान राज. विधानसभा की अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहकर महत्वपूर्ण विषयों एवं बिन्दुओं के संबंध में परिस्थिति अनुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिन अधिकारियों की ड्यूटी नियत की जाती है, उनमें से कतिपय अधिकारी सदन की राजकीय दीर्घा से अनुपस्थित पाये गये है।

राजकीय दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है एवं अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चितकराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत निर्धारित ड्यूटी आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए सदन की अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी राजकीय दीर्घा में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी/कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. संयुक्त/उप शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner